# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 15/505

1. गंगाराम आत्मज शंकर
2. छीतर आत्मज गंगाराम
3. बाबूराम आत्मज गंगाराम
4. जमना पत्नी गंगाराम
5. तुलसी पत्नी छीतर
6. गीता पत्नी बाबूराम जातियान गुर्जर निवासीगण ग्राम डाबेटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

**बनाम**

कान्हा आत्मज भोज्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम डाबेटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री आशुतोष शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जितेन्द्र कोठारी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 24.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम डाबेटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 538 की रकबा 05 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान जमाबन्दी में कान्हा, रामकिशन पिसरान भोजा मु0 बच्ची बेवा भोजा के नाम दर्ज है । रामकिशन की लाऔलाद अवस्था में दिनांक 19.10.2008 व मु0 बच्ची की दिनांक 14.07.2009 को मृत्यु हो चुकी है । वादी मृतक का एकमात्र उत्तराधिकारी है । वादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक सम्पत्ति है । प्रतिवादीगण ने ताकत के बल पर जबरन 03 वर्ष पहले कब्जा कर लिया और वादी को बेदखल कर दिया ।

3. अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को

जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे तथा वादी को प्रतिवादीगण से 5000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिफल 04 बीघा का हर्जाना वाद प्रस्तुति के दिनांक से दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री 19.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा प्रतिवादीगण अपीलान्ट का है जिसे वादी रेस्पोडेन्ट ने स्वयं स्वीकार किया है । वादी रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि बताई है । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार से सम्बन्धित है तथा अपीलान्ट का विवादित भूमि पर समान हक है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलान्ट को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.09.2015 को अपने वकील साहब से सम्पर्क करने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया । हमने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया इसके साथ एक कच्ची तहरीर की फोटो प्रति पेश की है । उक्त दस्तावेज एक कच्ची तहरीर की फोटो प्रति है जिसको अपील की स्टेज पर मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं करवाया जा सकता । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज किया जाता है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया था जिसमें अपीलान्ट ने जवाबदावा पेश किया है । पत्रावली तनकीयात में लम्बित थी और इसे राजस्व लोक अदालत में रखा गया और उसी दिन लोक अदालत में दावा डिक्री कर दिया गया । पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है, सीपीसी की पालना नहीं की गई है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई थी । दिनांक 07.05.2012 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एक तरफा कार्यवाही निरस्त की गई इसके उपरान्त जवाबदावा पेश किया गया पत्रावली लोक अदालत में रखी गई । लोक अदालत में अपीलान्ट गंगाराम और बाबूलाल उपस्थित हुए हैं । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वादीगण का वाद डिक्री किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायमी में लम्बित था जिसे दिनांक 19.06.2015 को राजस्व लोक अदालत में रखा गया और लोक अदालत में उसी दिन दावा वादी डिक्री कर दिया । लोक अदालत में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 3 उपस्थित हुए हैं शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है और इसी दिन डिक्री कर दिया । जबकि लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थिति होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह लोक अदालत की भावना के विपरीत पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.12.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24.10.2018

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा